न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 258/17 **निर्णय दिनांकः—11.10.2018**

1. पतराम पुत्र रामकिशन जाति ब्राहमण निवासी चक 1 बीजीएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 22—03—2000
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री हनुमान सिंह राजपुरोहित, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 22—03—2000 जिसके द्वारा अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र बिना सुने एकतरफा तौर पर खारिज किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा तहसील खाजुवाला में वादगत् भूमि चक 33 केएमडी के मुरब्बा नम्बर 181/10 में तादादी 25 बीघा भूमि के बतौर विशेष आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा

अपीलांट का उक्त आवेदन पत्र बावजूद सूचना अनुपस्थित/अदम सबूतों में खारिज फरमा दिया गया।

जबकि इस संबंध में अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। इसप्रकार अदालत मातहत ने मात्र यह अंकित करते हुए कि अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। प्रार्थी बावजूद सूचना के सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये है। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 01—08—17 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22—03—2000 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 01—08—2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर विशेष आवांटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र वांछित सबूत प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण खारिज किया गया है।

(3) इस संबंध में अदालत मातहत की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट वादगत् भूमि चक 33 केवाईडी 'बी' के मुरब्बा नम्बर 181/48 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि बतौर विशेष आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अभिकथन किया गया कि उक्त भूमि पूर्व में अन्य व्यक्ति को आवंटित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि की एवज में चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 222/45 के किला नम्बर 1 ता 25 की 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि विकल्प में आवंटित की जावे।

(4) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपीलांट को विकल्प में इगानप क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय नियम 1975 के नियम 13(ए)(5)(4) के द्वितीय परन्तुक के अध्यधीन अन्य प्रस्ताविक भूमि चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 222/45 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि जोकि राजपत्र में प्रकाशित भूमि है, रकबाराज दर्ज रिकार्ड व निर्विवाद उपलब्ध होने एवं अन्य किसी आवेदक का आवेदन लम्बित नहीं होने के आधार पर चक 34 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 222/45 के किला नम्बर 1 ता 25 में 25 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया जा चुका है।

चूंकि प्रकरण में अपीलांट को अदालत मातहत द्वारा अन्य भूमि का आवंटन किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अब इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर